



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2009/वैशाख 24, 1931

No. 278]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2009/VAISAKHA 24, 1931

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2009

सा.का.नि. 323(अ).—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों के विकास की प्रक्रिया) विनियम, 2009 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "अधिनियम" का अभिप्राय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 से है;
 - (ख) "बोर्ड" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से है;
 - (ग) "मानक विकास संगठन (एसडीओ)" का अभिप्राय बोर्ड द्वारा मानक विकसित करने के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित निकाय से है;
 - (घ) "तकनीकी समिति" का अभिप्राय उस समिति से है जिसे बोर्ड या एसडीओ द्वारा संबंधित मानक के सभी कार्यात्मक पहलुओं के संबंध में योगदान देने के लिए बोर्ड के अनुमोदन से गठित किया गया है और इस समिति की व्यापक भागीदारी हो, किन्तु यह शेयरधारकों, उद्योग सांविधिक निकायों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदायकों, शिक्षा-शास्त्रियों और गैर-सरकारी संगठनों तक सीमित न हो।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, लेकिन जिन्हें अधिनियम या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों या विनियमों में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमशः उनमें दिए गए अर्थ के समान होगा।

3. अनुप्रयोग

ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे -

- (क) तकनीकी समितियाँ या एसडीओ सहित मानक के विकास से जुड़े सभी भागीदार, जो उन तक सीमित न हों।
- (ख) किसी मानक, पद्धति और संहिता का विकास करना या ऐसे मानक, पद्धति और संहिता में संशोधन करना।

4. कार्यक्षेत्र

इन विनियमों में अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (i) में उल्लिखित क्षेत्रों में तकनीकी समितियाँ या एसडीओ द्वारा मानकों के प्रारूप के विकास के लिए पद्धतियों को शामिल किया जाएगा और बोर्ड द्वारा इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, अपनाया तथा अधिसूचित किया जाएगा।

5. सामान्य प्रावधान

- (1) बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत ही विनियम के प्रयोजनार्थ मानक विकसित कर सकता है या किसी मानक विकास संगठन (एसडीओ) के सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
- (2) यदि बोर्ड द्वारा किसी मानक को स्वयं विकसित करने का निर्णय लेता है तो वह संगत तकनीकी क्षेत्रों, भागीदारों, उपयुक्तता समूहों, तेल और प्राकृतिक गैस तथा अन्य ऊर्जा से संबंधित निकायों में स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक उपयुक्त तकनीकी समिति का गठन करेगा। सरकारी संगठन और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि तथा समिति अपने कार्य में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है।
- (3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत गठित किसी समिति में नामित सदस्य के अलावा अध्यक्ष और सदस्य-सचिव होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बकाया हितों का ध्यान में रखा जाए और किसी एक हित की प्रधानता न हो।
- (4) तकनीकी समिति विशिष्ट कार्यों के लिए तदर्थ विशेषज्ञ समूहों की नियुक्ति कर सकती है तथा ऐसे विशेषज्ञ समूहों की कार्यकाल अवधि पर निर्णय तकनीकी समिति द्वारा लिया जाएगा।
- (5) तकनीकी समिति का बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परिभाषित कार्यक्षेत्र होना चाहिए।
- (6) बोर्ड समय-समय पर तकनीकी समिति का पुनर्गठन करेगा तथा बोर्ड को समिति को भंग करने का अधिकार होगा।

- (7) यदि कोई एसडीओ बोर्ड के लिए मानक तैयार कर रहा है तो उसे बोर्ड के अनुमोदन से तकनीकी समिति का गठन करना चाहिए।
- (8) तकनीकी समितियों के सभी सदस्य और तदर्थ विशेषज्ञ समूह अनुबंध-1 में दी गई आधार संहिता से बंधे होंगे।
- (9) मानक तैयार करने में अपनाई गई प्रक्रिया को इस ढंग से तैयार किया जाएगा ताकि सभी निहित पार्टियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध हो सके।
- (10) मानक विकास कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार तकनीकी समितियां और एसडीओ लिखित निर्देश रखेंगी तथा इन विनियमों में निहित प्रावधानों तथा अनुबंध-3 - मानक तैयार करने, अद्यतन और अनुप्रयोग के लिए अच्छी प्रक्रिया संहिता के अनुसार व्यापार संबंधी तकनीकी सीमाओं पर इच्छुक पार्टियों का पालन करेंगी।

6. मानक बनाने की प्रक्रिया

- (1) रुचि रखने वाली कोई पार्टी बोर्ड को अनुबंध-11 में दिए गए फार्म में अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र तथा समय-समय पर संशोधित अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (उद्योग शुल्क और अन्य प्रभार) विनियम, 2007 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार आवेदन शुल्क से संबंधित पाइपलाइन और द्रव्यमान संचयनकों के निर्माण और प्रचालन सहित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित कार्यक्रमों में मौजूदा मानक बनाने या अद्यतन करने या संशोधन करने या रद्द करने के लिए बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
- (2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए बोर्ड अपनी और से किसी स्थापित मानक का विकास करने, अद्यतन बनाने, संशोधन या रद्द करने का निर्णय भी ले सकता है।
- (3) यदि बोर्ड किसी मौजूदा मानक की जांच करने पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे मानकों को एसडीओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पद्धति का अनुपालन करके बनाया गया है और ऐसे एसडीओ को मानकों की पर्याप्त संख्या का विकास करने का श्रेय दिया गया है तो बोर्ड ऐसे मानकों का संदर्भ दे सकता है या उन्हें अपना सकता है।
- (4) बोर्ड द्वारा किसी मानक को बनाने, अद्यतन करने या रद्द करने के आशय को बोर्ड की वेबसाइट पर तीस दिनों की अवधि के लिए प्रकाशित किया जाएगा या अन्य किसी माध्यम से भागीदारों से विचार आमंत्रित करने के लिए प्रचारित किया जाएगा।

- (5) प्राप्त विचारों पर बोर्ड द्वारा स्वयं विचार किया जाएगा या उसे टिप्पणियों के लिए एसडीओ को भेजा जाएगा और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- (6) नए मानक बनाने और किसी विशिष्ट विषय पर मौजूदा मानकों में आशोधन और संशोधन करने का कार्य तभी किया जाएगा जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि किसी मानक को बनाने, आशोधन या संशोधन करने की आवश्यकता, जैसी भी स्थिति हो, स्थापित हो गई हो।
- (7) एसडीओ द्वारा किसी परामर्शदाता, विशेषज्ञ, विशिष्ट संगठन या तकनीकी समिति को नियुक्त करके मानक का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया जाएगा।
- (8) इस प्रकार तैयार किए गए मानक का प्रारूप विचार-विमर्श के लिए तकनीकी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (9) विचार-विमर्श के बाद तकनीकी समिति अंतिम प्रारूप तैयार करके उसे बोर्ड को प्रस्तुत करेगी। बोर्ड मानक के अंतिम प्रारूप पर विचार करके उसे अनुमोदित करेगा तथा अपनी वेबसाइट पर साठ दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रदर्शित करेगा।
- (10) ऐसे मामलों में जहाँ अंतिम प्रारूप को बोर्ड द्वारा संशोधित किया जाता है, उसे वह संशोधनों पर अपनी टिप्पणियों के लिए तकनीकी समिति को लौटाएगा तथा तकनीकी समिति पैंतालिस दिनों की अवधि के अंदर अपनी टिप्पणियाँ बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी तथा बोर्ड तकनीकी समिति की टिप्पणियों पर विचार करके फाइनल प्रारूप को अंतिम रूप देगा और उसे साठ दिनों की अवधि के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।
- (11) तकनीकी समिति सार्वजनिक परामर्श की अवधि के दौरान प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखेगी और इसके बाद मानक के प्रारूप को अंतिम रूप देगी जिसे बोर्ड को एसडीओ, यदि कोई हो, के जरिए अपनाया जाएगा।
- (12) बोर्ड द्वारा किए गए विचार-विमर्श के बाद मानक के प्रारूप में उपयुक्त स्थलों पर किया गया परिवर्तन, यदि कोई हो, को भागीदारों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए तीस दिनों के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (13) प्राप्त टिप्पणियों को विचार-विमर्श के लिए तकनीकी समिति को भेजा जाएगा और संशोधन सहित और संशोधन बिना किए गए विचार-विमर्श के बाद मानक के अंतिम प्रारूप को बोर्ड को अपनाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और यदि कोई टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, तो बोर्ड सार्वजनिक परामर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित मानक का अंतिम प्रारूप अपना सकता है।

- (14) यदि मानक के अंतिम रूप में सहायता की जरूरत पड़ती है या कोई अन्य मानक, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का बौद्धिक संपदा अधिकार हो, से पाठ को उद्धृत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने तथा मानक का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी एसडीओ, यदि कोई हो, की होगी।
- (15) तकनीकी समिति द्वारा समिति में आम सहमति से प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा और यदि आम सहमति नहीं होती है तो मानक को मतदान द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा जिसे सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत किया जाएगा। मानक अपनाते समय आम सहमति के न बनने के विस्तृत कारण, यदि कोई हों, को बोर्ड के विचारार्थ सूचित किया जाएगा।
- (16) इस प्रकार विकसित सभी मानकों की समय-समय पर कम से कम पाँच वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी, और बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उसे संशोधित किया जाएगा, पुनः समर्थन दिया जाएगा या वापस लिया जाएगा।
- (17) संबंधित तकनीकी समिति द्वारा प्रकाशित मानकों में सुधार या संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जो नए मानकों के विकास के प्रस्तावों के समान होंगे तथा अंतिम निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

7. बहु-भागीदार परामर्श

- (1) भागीदारी उन सभी व्यक्तियों, जो विनियम (5) के उप-विनियम (3) में उपलब्ध कराए गए अनुसार संबंधित कार्यकलाप द्वारा प्रत्यक्ष और सामग्री रूप से प्रभावित हैं, के लिए खुली होगी।
- (2) मानक विकास प्रक्रिया किसी एकल हित वाले वर्ग चाहे इसकी हैसियत या ताकत के रूप में कोई व्यक्ति या संगठन हो, की प्रधानता नहीं होनी चाहिए तथा विकास प्रक्रिया में हितों का संतुलन होना चाहिए और संतुलन प्राप्त करने के उद्देश्य से विविध हित वाले वर्गों के भागीदारों को लिए जाएगा।
- (3) मानक बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि इसमें रुचि रखने वाली सभी पार्टियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

8. मानकों को तैयार करने की समयावधि

- (1) तकनीकी समिति या एसडीओ मानक के प्रारूप को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर अपनाने के लिए प्रस्तुत करेगा तथा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि को विशिष्ट मामलों में बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार तात्कालिकता और आवश्यकताओं के आधार पर कम किया जा सकता है।
- (2) यदि यह अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट समय से अधिक समय लगेगा तो तकनीकी समिति या एसडीओ अंतिम तारीख से कम से कम दो महीने पहले उचित औचित्य प्रस्तुत करके बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

9. प्रकाशन

मानक को बोर्ड द्वारा अपनाए जाने के तुरंत बाद प्रकाशित किया जाएगा।

10. मानक का मूल्य

बोर्ड द्वारा मानक के मूल्य पर निर्णय समय-समय पर मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा।

11. विकास/संशोधन/रद्द करने तथा मौजूदा मानक के लिए राजस्व मॉडल

एसडीओ को बोर्ड द्वारा विकास या ऐसी निबंधन और शर्तों पर मानकों के प्रारूप, जैसा कि बोर्ड द्वारा सामान्य या मामला दर मामला आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा, के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

12. अन्य मानकों को मान्यता

- (1) तकनीकी समिति या एसडीओ बोर्ड को उसके क्षेत्राधिकार में किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रायोजकता के आधार पर इन विनियमों का अनुपालन करते हुए किसी अन्य एसडीओ द्वारा स्थापित मानक की सिफारिश कर सकता है।
- (2) मानक के मूल मालिक के किसी मानक को अपनाने संबंधी सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी तकनीकी समिति या एसडीओ, जैसी भी स्थिति हो, की होगी।
- (3) यदि किसी मामले में मान्यता दिए जाने वाले मानक को इस ढंग से बनाया गया है जो इन विनियमों के अनुरूप नहीं है तो अपनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुबंध-3 - मानक तैयार करने, अपनाने और अनुप्रयोग के लिए अच्छी प्रक्रिया संहिता के अनुसार व्यापार संबंधी तकनीकी सीमाओं पर डब्ल्यूटीओ करार का पालन करेगा।

13. जांच और शिकायतों का निपटारा

- (1) बोर्ड तकनीकी मानकों के संबंध में किसी कंपनी द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण या व्याख्या और बोर्ड के विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में जांच का निपटारा करेगा।
- (2) यदि मानक विकास प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो बोर्ड उसे निर्णय के लिए तकनीकी समिति या एसडीओ को भेजेगा और यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है तो मामले को बोर्ड को वापस भेजा जाएगा और बोर्ड शिकायत का समाधान करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी या तकनीकी विशेषज्ञों या दोनों की मदद ले सकता है।

14. विधि

यदि इस विनियम के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

तकनीकी समिति या विशेषज्ञ समूहों के सदस्यों के लिए आचार संहिता

यह आचार संहिता उन तकनीकी समितियों या विशेषज्ञ समूहों के सभी सदस्यों के लिए है जो विनियम 5(8) में निहित सामान्य प्रावधानों के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के तकनीकी मानकों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

अपनाए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं निम्न प्रकार हैं:

- (i) मानकों के विकास से संबंधित बैठक या मानक विकास प्रक्रिया से संबंधित कोई मामला समिति की बैठकों के लिए पूर्व सूचना और पर्याप्त रिकार्डों के आयोजित किया जाएगा तथा अन्य संगत सुपर्दगी, निर्णयों तथा उन पर की गई करवाई को सदस्य सचिव द्वारा रखा जाएगा।
- (ii) तकनीकी समिति के अध्यक्ष या सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि मानक विकास प्रक्रिया में किसी विशेष आपूर्तिकर्ता, देश या क्षेत्र को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा या उसके हितों का पक्ष नहीं लिया जाएगा।
- (iii) सदस्यों में या सदस्यों के बीच और एसडीओ द्वारा सूचना के आदान-प्रदान की टांचागत पद्धति अपनाई जाएगी ताकि मानक विकास प्रक्रिया पारदर्शी हो।
- (iv) प्रत्येक सदस्य को उसका मत व्यक्त करने का सम्मान अक्सर दिया जाना चाहिए और तकनीकी समिति का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी समिति या विशेषज्ञ समूहों के किसी सदस्य के खिलाफ कोई भेदभाव न किया जाए।
- (v) पद्धति स्थापित की जाए ताकि सभी सदस्यों को लिखित टिप्पणियों के लिए पर्याप्त समय और अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
- (vi) व्यक्तिगत लाभ या संगठनात्मक लाभ के लिए सूचना के दुरुपयोग से बचा जाना चाहिए।
- (vii) विकसित मानक का अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए कि किसी उत्पाद से मूल स्थल के आधार पर भेदभाव किया जाए और भावी उदाहरणों के लिए संभावनाओं का ध्यान रखा जाए या उसे हटा दिया जाए।

- (viii) तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी समितियों और विशेषज्ञ समूहों के सदस्यों सहित रुचि रखने वाली सभी पार्टियों को समान अवसर देते हुए संतुलन दृष्टिकोण सहित मानकों में सामंजस्य पैदा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
- (ix) मानकों का प्रारूप सरल भाषा में बनाया जाएगा ताकि वह सुस्पष्ट और सरल हों, उनमें अनिश्चितता और विषमताएं कम हों और वे मानकों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के योग्य हों।
- (x) तकनीकी मानक को लिखने में किसी पेटेंट या कॉपीराइट मद के नाम के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। मानक में किसी कॉपीराइट सामग्री, पूर्ण या आंशिक रूप में, कॉपीराइट धारक से पूर्व अनुमति लिए बिना शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- (xi) तकनीकी समिति और विशेषज्ञ समूहों के सभी सदस्य एसडीओ या बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जैसा उचित समझा जाए, किसी अन्य स्रोत से सलाह या सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- (xii) तकनीकी समिति या विशेषज्ञ समूह के सभी सदस्य एसडीओ या बोर्ड द्वारा मानक विकास प्रक्रिया से संबंधित किसी स्पष्टीकरण और सूचना के लिए किए गए किसी अनुरोध का उत्तर देंगे।
- (xiii) तकनीकी समिति या तकनीकी समिति के सदस्यों से संबंधित किसी शिकायत का समाधान संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (xiv) यदि शिकायत निवारण के उपर्युक्त उपाय असफल हो जाते हैं तो मामले को विस्तृत सहायक दस्तावेजों के साथ बोर्ड को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (xv) यदि कोई सदस्य कदाचार में लिप्त पाया जाता है और वह इस संहिता या किसी अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्य प्रक्रिया में परिभाषित मानक पद्धति का अनुपालन नहीं कर रहा हो तो उसे बोर्ड के अनुमोदन से नए सदस्य से बदला जा सकता है।
- (xvi) प्रत्येक सदस्य अन्य व्यावसायिक निकायों की सदस्यता सहित अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत करेगा तथा तकनीकी समिति में उसके नामांकन के कारण विवादास्पद हितों को भी स्पष्ट करेगा।

अनुबंध-11

[देखें विनियम 6 (1)]

मानक बनाने या स्थापित मानक में सुधार, संशोधन या रद्द करने के लिए

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को
प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए फार्म**

1. पार्टी का नाम:
2. कंपनी का प्रकार:
3. व्यवसाय रूपरेखा:
4. दूरभाष संख्या/मोबाइल सं0/ई-मेल/फैक्स सहित पता
5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अपेक्षित किसी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क व्यक्ति का नाम, ई-मेल, मोबाइल सं0
6. विकसित/संशोधित/आशोधित/रद्द करने के लिए प्रस्तावित मानक
7. क्रमांक 6 के समर्थन में कारण
8. भुगतान ब्यौरा:

क. ड्रॉफ्ट सं0दिनांक.....रु0.....

(डिमांड ड्रॉफ्ट नई दिल्ली में देय "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड" के पक्ष में दिया जाना चाहिए)

पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम:.....

पदनाम:.....

संगठन:.....

टिप्पणी : कंपनी/पार्टी के सीईओ से ऊपर उल्लिखित प्रतिनिधि के लिए प्राधिकार-पत्र को भी संलग्न किया जाए।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2008-खंड I]

रतन पी. वातल, सचिव

17946I/09-2

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2009

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
 - (b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
 - (c) "standard development organization (SDO)" means a nationally or internationally established body recognized by the Board for developing standards;
 - (d) "technical committee" means a committee constituted by the Board or SDO with the approval of the Board to contribute in respect to all functional aspects of the subject standard and this committee shall have wide participation including, but not limited to, multi stakeholders, industry, statutory bodies, suppliers, service providers, academia, and NGOs.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them.

3. Application.

These regulations shall apply to—

- (a) all stakeholders associated with development of standard including, but not limited to, the technical committees or SDOs.
- (b) developing any standard, practices, and codes or modifying such standard, practices and codes.

4. Scope.

These regulations shall cover the procedures for development of draft standards by the technical committees or SDOs in the areas mentioned in

clause (i) of section 11 of the Act and the finalization, adoption and notifications of these by the Board.

5. General provisions.

- (1) The Board may either develop standards for the purpose of regulation under the Act itself or utilize the services of any Standards Development Organization (SDO).
- (2) The Board, when it decides to develop any standard itself, shall constitute an appropriately named technical committee of independent experts in the relevant technical areas, stakeholders, consumer groups, oil and natural gas and other energy related bodies, Government organisations and representatives of industry bodies and the committee may co-opt experts to assist it in its work.
- (3) Any technical committee constituted under sub-regulation (2) shall have a chairman and a member-secretary besides nominated members and it shall be ensured that balance of interests is maintained and no single interest dominates.
- (4) The technical committee may appoint ad hoc expert groups for specific tasks and such expert groups shall have tenure as decided by the technical committee.
- (5) The technical committee shall have defined scope of work as specified by the Board.
- (6) The Board may reconstitute the technical committee from time to time and the Board shall have the power to dissolve a committee.
- (7) In case an SDO is developing a standard for the Board, it shall constitute the technical committee with the approval of the Board.
- (8) All members of the technical committees and ad hoc expert groups shall be bound by the code of conduct at Annexure-I.
- (9) The procedures employed in formulation of the standards shall be designed in a manner so as to provide opportunities to all interested parties to communicate their views.
- (10) The technical committees and SDOs responsible for standards development activities shall maintain written records and follow procedures in accordance with the provisions contained in these regulations and the codes of good practices as per WTO agreement on Technical Barriers to Trade, Annex-3 - Codes of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards.

6. Procedures for formulation of standards.

- (1) Any interested party may submit a proposal to the Board for formulation of a standard or updating or amending or cancelling an existing standard in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas including the construction and operation of pipeline and infrastructure projects related to downstream petroleum

and natural gas sector in the form at Annexure-II alongwith an application fee as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fees and Other Charges) Regulations, 2007 as amended from time to time.

- (2) Notwithstanding anything in sub-regulation (1), the Board on its own may also decide to develop, update, amend or cancel an established standard.
- (3) If the Board on examining any existing standards is satisfied that such standards have been developed by an SDO following the international best practices and such SDO has been credited for development of substantial number of standards, the Board may refer or adopt such standards.
- (4) The intent to formulate, update, amend or cancel any standard by the Board shall be published for a period of thirty days on the web site of the Board or publicized by any other means for inviting views from the stakeholders.
- (5) The views received shall be considered by the Board itself or by referring them to SDO for comments and the final decision in this regard shall lie with the Board.
- (6) The work of formulation of new standards and modification and revision of existing standards on any specific subject shall be undertaken when the Board is satisfied that the necessity for formulation, modification or revision, as the case may be, of a standard has been established.
- (7) A preliminary draft standard shall be prepared by the SDO, either by engaging any consultant, experts, specialized organization or by the technical committee.
- (8) The draft standard so prepared shall be put up to the technical committee for deliberation.
- (9) After deliberations, technical committee shall prepare a final draft and shall submit the same to the Board and the Board shall consider and approve the final draft standard and put it on its website for public consultation for sixty days.
- (10) In cases where the final draft is modified by the Board, it may refer it back to the technical committee for its comments on the modifications and the technical committee shall give its comments within a period of forty five days to the Board for its consideration and the Board shall consider the comments of the technical committee and finalise the final draft and put it on its website for public consultation for a period of sixty days.
- (11) The technical committee shall take into account the comments received during the period for public consultation and shall thereafter finalize the draft standard which shall be submitted to the Board for adoption through SDO, if any.

- (12) The draft standard after deliberation of the Board with the changes, if any, incorporated at appropriate places shall be hosted in the website of the Board for thirty days for comments of stakeholders and the general public.
- (13) The comments received shall be forwarded to the technical committee for deliberations and the final draft standard after deliberations with or without modifications shall be submitted to the Board for its adoption and if no comments have been received, then, the Board may adopt the final draft standard placed on its website for public consultation.
- (14) In case the finalized standard draws assistance or reproduces text from any other standard where some other person has intellectual property right, the responsibility for seeking concurrence of such person shall lie with the SDO, if any, preparing the draft standard.
- (15) Technical committee shall finalize the draft by consensus in the committee and if consensus is not reached, the standard shall be finalized by voting and acceptance by two-third majority of members and the detailed reasons for lack of consensus, if any, shall be conveyed to the Board for its consideration while adopting the standard.
- (16) All standards so developed shall be reviewed periodically at least once in five years, and revised, reaffirmed or withdrawn, as considered necessary by the Board.
- (17) Proposals for revising or amending published standards shall be considered by the technical committee concerned in a manner similar to proposals for development of new standards with the final decision resting with the Board.

7. Multi-stakeholder consultation.

- (1) Participation shall be open to all persons who are directly and materially affected by the activity in question as provided in a sub-regulation (3) of regulation (5).
- (2) The standards development process shall not be dominated by any single interest category whether individual or organization as a means of its position or strength and the development process shall have a balance of interests and participants from diverse interest categories shall be sought with the objective of achieving balance.
- (3) The procedure employed in formulation of the standard shall be designed as to allow all interested parties the opportunity to communicate their views.

8. Time period for preparation of standards.

- (1) The technical committee or SDO shall submit the draft standard to the Board for adoption within the period specified by the Board and the time period specified by the Board may be reduced depending upon the urgency and the requirements as decided by the Board in specific cases.

- (2) In case it is anticipated that the process will take more than the specified time, the technical committee or SDO shall seek approval of the Board by submitting due justification at least two months in advance of last date.

9. Publication.

The standard shall be published by the Board immediately after it has been adopted.

10. Price of standard.

The price of a standard may be decided by the Board from time to time on a case to case basis.

11. Revenue model for development/amending/cancelling and existing standard.

SDO shall be compensated by the Board for the development or the draft standards on such terms and conditions as may be specified by the Board in general or on a case to case basis.

12. Recognition of other standards.

- (1) The technical committee or SDO may recommend to the Board any standard established by any other SDO complying with these regulations on the basis of applicability to a specific area within the jurisdiction of the Board.
- (2) The responsibility for seeking concurrence for adoption of any standard with the original owner of the standard shall rest with the technical committee or SDO as the case may be.
- (3) In a case, the standard to be recognized has been developed in a manner not complying with these regulations, the process of adoption shall follow the WTO agreements on Technical Barrier to Trade (TBT), Annex-3 - code of good practice for preparation, adoption and application of standards.

13. Handling enquiries and complaints.

- (1) The Board shall set a unit to handle the enquiries in terms of explanation or interpretation required by any entity with respect to technical standards and provisions of the regulations of the Board.
- (2) In case any complaint about the standard development process is received, the Board shall refer it to the technical committee or SDO for resolution and in a case the complaint is not resolved, the matter shall be referred back to the Board and the Board may seek help of ombudsman or technical experts appointed by the Board or both to resolve the complaint.

14. Miscellaneous.

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of this regulation, the decision of the Board shall be final.

Annexure - I**Petroleum and Natural Gas Regulatory Board****CODE OF CONDUCT FOR THE MEMBERS OF THE TECHNICAL COMMITTEES OR EXPERT GROUPS**

This Code of Conduct is for all the members of the technical committees or expert groups who are responsible for development of Technical Standards for Petroleum and Natural Gas Regulatory Board as per the general provisions contained at Regulation 5(8).

Principles and procedures to be followed:

- (i) Meeting with respect to development of standards or any matter related to standard development process shall be conducted with the prior notice and adequate records for the committee meetings and other relevant deliverable, decisions and action taken thereof shall be maintained by the Member-Secretary.
- (ii) The Chairman or the Member-Secretary of the technical committee shall ensure that that standard development process will not give any privilege to or favour the interests of a particular supplier, country or region.
- (iii) A structural mode of exchange of information shall be maintained among the members or between members and SDO so that standard developing process is transparent.
- (iv) Every member shall be given equal opportunity to express his views and the chairman of the technical committee shall ensure that no discrimination prevails against any of the member of the technical committee or expert groups.
- (v) Procedure shall be established so that adequate time and opportunities are provided to all the members for written comments.
- (vi) Misutilization of information for individual gain or organizational gain shall be avoided.
- (vii) The standard developed shall not be intended to discriminate any product on the basis of place of origin and shall take care or remove the potential for future instances.
- (viii) Technical committee shall take all efforts to harmonize the standards with balancing approach giving equal opportunities to all interested parties including the members of the Technical Committees and the Expert Groups.

Annexure - I (contd)

- (ix) The standards shall be drafted in plain language to improve clarity and simplicity, to reduce uncertainty and discrepancies and to enable to have better understanding of the implications of the standards.
- (x) Use of name for any patent or copyright item shall be avoided in writing the technical standard. Standard shall not incorporate any copyrighted material, in whole or in part, without prior permission from the copyright holder.
- (xi) All the members of the technical committee or expert groups can take advice or seek information from any other sources as deemed fit within the jurisdiction decided by the SDO or the Board.
- (xii) All members of the technical committee or expert group shall respond to any request made by the SDO or the Board for any clarification and information related to Standard Development process.
- (xiii) Any complaint concerning the technical committee or the members of the technical committee or expert groups shall be resolved by the concerned authority.
- (xiv) If the above steps of complaint redressal fail, the matter shall be referred to the Board with detailed supporting documents. Decision of the Board in such cases shall be final and binding.
- (xv) Any members found for misconduct and not following the standard practices defined in this code or any international mandatory practices can be replaced with a new member with the approval of the Board.
- (xvi) Each member shall submit his professional engagement including membership of other professional bodies and also clarify the conflict of interests due to his being nominated to the technical committee.

Annexure - II(Refer regulation 6 (1))**Form for submitting proposal to the
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board**

for

**Formulation of a standard or revising, amending, or cancelling an established
standard.**

1. Name of the party:
2. Type of entity
3. Business profile:
4. Address including telephone numbers/mobile no./email/fax
5. Name, e-mail, mobile No of contact person for any clarification required by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board:
6. Standard proposed to be developed/revised/amending/cancelling:
7. Reason in support of the serial No. 6
8. Payment details:
 - a. Draft No. _____ date _____ for Rs. _____

(DD shall be made in favour of "Petroleum and Natural Gas Regulatory Board" payable at New Delhi)

Signature of the authorized representative of the Party

Name _____

Designation _____

Organisation _____

Note : A letter of authorization for the above mentioned representative from CEO of the entity/party may also be enclosed.

[F. No. S-Admn./III/8/2008-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.